न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325671

GCMS NO.-2024/201

मिसलनम्बर– 60 / 2024

1.गणेशराम पुत्र श्री भैरूलाल जी जाति भील हाल निवासी भैरू जी का चौक किशोरपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कंवरलाल पुत्र गणेशराम
2.रतनलाल पुत्र गणेशराम
3.मूर्ति बाई पुत्री गणेशराम
4.जमना बाई पत्नि गणेशराम
5.बजरंगलाल पुत्र केसरीलाल जाति भील निवासीगण कालबेलिया झोपड़ियों के पास बरड़ा बस्ती करणी नगर नांता कोटा
6.अनिल कुमार पुत्र कंवरलाल जाति भील निवासी पावर हाउस ए.सी.ई. ऑफिस के पास बजरंग नगर सकतपुरा कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 21/10/24

उपस्थिति:–

1.श्री मो0 रईस खान प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री अशोक कुमार गुर्जर अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी 72 वर्षिय सीनियर सिटीजन है, प्रार्थी का एक मकान बरडा बस्ती नान्ता मे स्थित है, अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पुत्र, पुत्री, पत्नि व पौत्र है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को एक मकान जो बरडा बस्ती नान्ता मे स्थित है, रहने के लिये दे रखा है, प्रार्थी बेरोजगार है, प्रार्थी के पास कोई आय का जरिया नही है, प्रार्थी ने एक अन्य मकान कुरारी पाड़ा हाड़ा की बावड़ी नान्ता है, उसे किराये पर दे रखा है, जिससे प्रार्थी को सौलह सौ रूप्ये महीने की आय होती है, जिससे वह अपना गुजर बसर करता है। अप्रार्थीगण उक्त मकान जिसे प्रार्थी ने किराये पर दे रखा है उसे वह हडपना चाहते है प्रार्थी के साथ मारपीट करते है, गाली गलौच करते है, प्रार्थी हाल मे किशोरपुरा मे अपने रिश्तेदार के यहां निवास कर रहा है, जब भी वह मकान पर बरडा बस्ती नान्ता जाता है तो अप्रार्थीगण उसके साथ मारपीट करते है, गाली गलौच करते है, जान से मारने की धमकी देते है, प्रार्थी के कहने पर कि एक मकान पर तो तुमने पहले से ही कब्जा कर रखा है, इस मकान् से मेरा गुजारा भत्ता चलता है, इसको भी तुम हडपना चाहते हो तो मै अपना जीवन कैसे यापन

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करूगां तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को मारने पर उतारू हो गये, उसके साथ दोनो पुत्रो कंवरलाल, रतनलाल व अनिल कुमार से मारपीट की, प्रार्थी की पत्नि जमना बाई ने उनके उपर हाथ उठाया, और वहां से प्रार्थी को जबरन भगा दिया, उसके साथ काफी गाली गलौच की, प्रार्थी की पुत्री मूर्ति बाई एवं बजरंगलाल ने भी उसके साथ काफी मारपीट की। प्रार्थी के पुत्र प्रार्थी को किसी भी तरह का भरण पोषण नही देते है, ना ही उसका खर्चा चलाते है, और प्रार्थी को जो छोटी मोटी किराये से आय होती है वो भी कई बार उसको हडप लेते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को परेशान करने के लिये झूठे मुकदमे प्रार्थी पर लादने की धमकी देते है। नान्ता थाने मे भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को गाली गलौच की, उसके उपर हाथ उठाया, और मारपीट करने की कोशिश की। अप्रार्थीगण प्रार्थी कों किसी भी प्रकार का भरण पोषण अदा नही कर रहे है, और प्रार्थी के उक्त मकान जो बरडा बस्ती नान्ता मे स्थित है, उस पर जबरन कब्जा करना चाहते है, और प्रार्थी की एकमात्र आय का साधन भी छीनना चाहते है। प्रार्थी अपने वृद्धावस्था मे है, और अप्रार्थीगण से काफी परेशान हो चुका है। आऐ दिन यह लोग प्रार्थी के साथ मारपीट करते है, गाली गलौच करते है। प्रार्थी सीनियर सिटीजन है, वह कोई काम धन्धा नही करता है। प्रार्थी उक्त किराये से ही अपना जीवन यापन करता है ताकि वह अपना बूढापा ठीक से गुजार सके। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करने गाली गलौच करने के कारण वह किशोरपुरा मे अपने रिश्तेदार के यहां निवास कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के खिलाफ सीनियर सिटीजन कल्याण एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर प्रार्थी को अपने पुत्रो से भरण पोषण हेतु 10,000/–रूपये राशि दिलवाई जावे, एवं प्रार्थी को अपने मकान से बेदखल नही करने हेतु आदेश पारित किया जावे एवं साथ ही अप्रार्थीगण को प्रार्थी के नान्ता स्थित मकान पर जबरन कब्जा करने से रोका जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कोई भी मकान बरडा बस्ती नान्ता में रहने के लिए नही दिया हुआ है, बल्कि उक्त मकान अप्रार्थीगण के स्वयं के कब्जे एवम आधिपत्य का मकान है। प्रार्थी का यह कहना कि वह बेरोजगार है व आय का कोई जरिया नही है, बिल्कुल झूठा तथ्य है। वरन प्रार्थी आर.एस.ई.बी. सवाई माधोपुर राज० में ड्राईवर के पद पर पूर्व में सरकारी सेवा में आसीन था, वर्तमान में प्रार्थी रिटायर हो चुका है और उसको नियमानुसार मासिक पेंशन मिलती है। इसके अलावा प्रार्थी जिस मकान किशोरपुरा कोटा में वर्तमान में रह रहा है, उक्त मकान भी प्रार्थी का स्वयं का मालिकाना हक का है। उक्त मकान के अलावा भी शिवपुरा कोटा में एक अन्य मकान भी प्रार्थी के आधिपत्य में है। उक्त दोनो मकानो से भी किरायेदारी से आने वाली मासिक आय प्रार्थी के पास रहती है। इस प्रकार प्रार्थी वर्तमान में पेंशन एवम किरायेदारी की राशि आदि से कुल लगभग 50,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करता है। जहां तक प्रार्थी के एक अन्य मकान कुरारी पाड़ा हाडा की बावडी नान्ता कोटा में किराये पर दे रखे होने का प्रश्न है, को बिल्कुल झूंठा है, उक्त मकान बरसो पूर्व प्रार्थी एवम अप्राथीगण के मध्य हुऐ मौखिक समझौते अनुसार उक्त मकान अप्रार्थीगण के कब्जे में है। प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण ने कभी भी कोई मारपीट नही की, ना ही कोई गाली – गलोच की, जहां तक प्रार्थी के किशोरपुरा कोटा में रहने का प्रश्न है, तो वो अपने स्वयं के मकान में अपने पूर्व मृत बडे पुत्र भंवरलाल की पत्नी संतोष एवम पुत्रो धनराज व प्रेमराज के साथ 20–22 वर्षों से अप्रार्थीगण से अलग रह रहा है। प्रार्थी की पत्नी जमनाबाई द्वारा प्रार्थी के साथ कभी कोई मारपीट नही की, एवम जहां तक प्रार्थी के भरण–पोषण का प्रश्न है, उसका समुचित जवाब पूर्व में दिया जा चुका है कि प्रार्थी एक पेंशनर है, इसके अलावा मासिक किरायेदारी की राशि भी प्रार्थी के पास आती है, जिसे वह अपने खर्चों व भरण –पोषण में काम

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लेतां है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के किसी भी मकान पर कोई कब्जा नही कर रहे है, ना ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ कोई गाली– गलोच व मारपीट वरन प्रार्थी स्वयं झूंठ के बल पर न्यायालय के समक्ष झूंठा प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि प्रार्थी द्वारा अपने पूर्व मृतक बडे पुत्र भंवरलाल के की पत्नी संतोष व पुत्रो धनराज व प्रेमराज के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूंठा मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि चलने योग्य नही है। प्रार्थी की मासिक पेंशन एवम निवासित मकान किशोरपुरा कोटा व शिवपुरा वाले मकान की किरायेदारी से कुल 50,000/–रुपये मासिक आय हो रही है, जिससे प्रार्थी अपना स्वयं का जीवन बड़े आराम से कर रहा है। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या –4 जमनाबाई को बरसो पूर्व करीब 20–22 वर्ष पूर्व छोडा हुआ है, प्रार्थी अपनी पत्नी को भी किसी प्रकार का कोई भरण–पोषण की राशि अदा नही कर रहा है। अपना सब कुछ रूपया मात्र अपने पूर्व मृत बड़े पुत्र भंवरलाल की पत्नी संतोष एवम उसके पुत्रो प्रेमराज व धनराज के ऊपर ही खर्च कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से माननीय न्यायालय के समक्ष यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रार्थी एक रिटायर पेंशनर व्यक्ति है एवम अपने दो मकानो से भी प्रार्थी के किरायेदारी की मासिक राशि आती है, कुल मिलाकर प्रार्थी को 50,000/–रूपये मासिक प्रतिमाह की आय हो रही है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार से कोई भरण–पोषण की कोई राशि की कोई आवश्यकता कतई नही है। प्रार्थी द्वारा बरसो पूर्व ही अप्रार्थीगण सहित उसकी स्वयं की पत्नि जमनाबाई को भी 20–22 वर्षों से पूर्व छोड दिया है, प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी का भी कोई भरण–पोषण नही किया जा रहा है, प्रार्थी अपनी समस्त आय अपनी विधवा पुत्रवधु व पौत्रो पर उनकी आय का कोई जरिया नही होने के कारण उनके ऊपर ही खर्च कर रहा है, जबकि विधवा पुत्र वधु एवम उसके पौत्र वयस्क होकर अपना–अपना काम धन्धा करके अपनी नौकरीयां कर रहे है और रोजगार प्राप्त है। इसके अलावा अप्रार्थी क्रम–3 व 5 प्रार्थी के पुत्री एवम जवाई है। जो कि अलग अपना जीवन यापन कर रहे है। उक्त दोनो को प्रार्थी से किसी प्रकार का कोई लेना–देना कभी नही रहा है। उक्त दोनो पति –पत्नी अपना अलग खाते कमाते है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को अप्रार्थीगण के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी राजकीय सेवा से रिटायर्ड है जिससे प्रार्थी को पेंशन मिलती है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को पेंशन नही मिलती है मात्र 2,000/– रूपये पी0एफ0 के मिलते है एवं मकान के किराये के रूप में 1600/– रूपये की आय प्राप्त होती है। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने से प्रार्थी अपनी सार–सभांल एवं भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः अप्रार्थी कम 1 व 2 को निर्देश दिया जाता है कि अपने पिता को 1000/–, 1000/– मासिक अर्थात कुल 2,000/– रूपयें भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों। मकान से प्राप्त होने वाला किराये प्रार्थी प्राप्त करता रहेगा जिसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करेगे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 21/10/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय
कोटा